

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती करुणा लाडोती, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन नम्बर :- 79/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/290

अनवान

1. कन्हैयालाल पुत्र जगदीश ढोली निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. भैरूलाल पुत्र जगदीश ढोली निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. रतनलाल पुत्र जगदीश ढोली निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. ललितकुमार पुत्र जगदीश ढोली निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. लादु पुत्र हीरा ढोली निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहन पुत्र हजारी धोबी निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. कमलादेवी पत्नि हजारी सुथार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नाथुलाल पुत्र प्रहलाद सुथार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. प्रहलाद पुत्र रामा सुथार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बालु पुत्र हरलाल सुथार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. मुकेश कुमार पुत्र रामा सुथार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. हीरालाल पुत्र हरलाल सुथार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. मांगु पुत्र भीमा धोबी निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
9. अशोक पुत्र अर्जुनलाल महाजन निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
10. जगदीश पुत्र मूला ढोली निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
11. गजसिंह पुत्र पीरूदान बड़वा निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
12. गणपत पुत्र कालुसिंह बड़वा निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
13. विष्णुकंवर पत्नि सांवतसिंह बड़वा निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
14. पिन्दु पुत्र अम्बालाल कुम्हार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
15. रतन पुत्र अम्बालाल कुम्हार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
16. रामचन्द्र पुत्र नारू कुम्हार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
17. लेहरूलाल पुत्र नारू कुम्हार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
18. शंकरलाल पुत्र नारू कुम्हार निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
19. मोहन पुत्र हजारी धोबी निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
20. गंगादान पुत्र शिवकरण बड़वा निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
21. शम्भुसिंह पुत्र शिवकरण बड़वा निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
22. शंकर पुत्र नंदा तेली निवासी झड़ोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
23. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण



सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

(वास्ते-विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी करने बाबत)

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद मन्सूरी – प्रार्थीगण अधिवक्ता
2. मुकेश चौधरी – विपक्षी संख्या 1 अधिवक्ता एकपक्षीय
3. विपक्षी संख्या 2 लगायत 22 एकपक्षीय

निर्णय

दिनांक:-02.06.2025

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम झड़ोल पटवार हल्का झड़ोल तहसील रायपुर के खेत की आराजी संख्या 2284 रकबा 0.44 है० भूमि राजस्व खाता संख्या 2285 रकबा 0.02 है० गै.मु. आचा, आराजी संख्या 2313 रकबा 0.65 है०, आराजी संख्या 283 रकबा 0.92 है० कुल कित्ता 4 कुल रकबा 2.03 है० भूमि राजस्व खाता संख्या 761 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस में सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को अन्तिम बार दिनांक 25.09.2024 को कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण द्वारा उक्त वर्णित आराजियात की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।
2. प्रार्थीगण के आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामील विपक्षी संख्या 2 लगायत 22 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नही होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही दिनांक 08.04.2025 को अमल में लाई गई एव विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता मुकेश चौधरी का काफी अवसर देने के बाद भी उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही दिनांक 19.05.2025 को की गई तथा विपक्षी संख्या 23 तहसीलदार रायपुर औपचारिक पक्षकार है।
3. प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम झड़ोल पटवार हल्का झड़ोल तहसील रायपुर के खेत की आराजी संख्या 2284



सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) रायपुर

रकबा 0.44 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 2285 रकबा 0.02 है0 गै.मु. आचा, आराजी संख्या 2313 रकबा 0.65 है0, आराजी संख्या 283 रकबा 0.92 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.03 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 761 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है, जिससे प्रार्थीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु आवेदन स्वीकार किया जाए।

4. हमने विद्वान अधिवक्ता की की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्वावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो का विवेचन किया। जिससे स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम झड़ोल पटवार हल्का झड़ोल तहसील रायपुर के खेत की आराजी संख्या 2284 रकबा 0.44 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 2285 रकबा 0.02 है0 गै.मु. आचा, आराजी संख्या 2313 रकबा 0.65 है0, आराजी संख्या 283 रकबा 0.92 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.03 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 761 पर दर्ज रेकार्ड है, जो पत्रावली में संलग्न विवादित भूमि की जमाबन्दी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण संलग्न विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी भूमि की पत्थरगढी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है।
5. हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है, जिसके अनुसार :-

धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से किए जायेंगे:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र,जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। हस्तगत प्रकरण में पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं है, जिससे साबित होता हो कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि की सीमाओं को लेकर कोई विवाद हों। चूंकि राजस्थान

भू-राजस्व अधिनियम की धारा 128(1) के अनुसरण में सीमा से सम्बन्धित निर्विवाद




सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जयपुर

मामलों को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

6. उपर्युक्त विवेचन के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु तहसीलदार रायपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदन करने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक स्वीकार किया जाना न्यायासंगत एवं उचित प्रतीत होता है।


—: आदेश :—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में आवेदन-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान हेतु आवेदन पेश करने पर राजस्व ग्राम झड़ोल पटवार हल्का झड़ोल तहसील रायपुर के खेत की आराजी संख्या 2284 रकबा 0.44 है० भूमि राजस्व खाता संख्या 2285 रकबा 0.02 है० गै.मु. आचा, आराजी संख्या 2313 रकबा 0.65 है०, आराजी संख्या 283 रकबा 0.92 है० कुल किता 4 कुल रकबा 2.03 है० भूमि की पैमाईश करते हुए विधिनुसार कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता है। वक्त कार्यवाही सम्बंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए तथा स्थगन होने की दशा में स्थगन की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाए। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिला दफ्तर हों।



(करुणा लाडोती)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
रायपुर, जिला, भीलवाड़ा
(एस.डी.ओ. रायपुर)

आदेश आज दिनांक 02.06.2025 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
रायपुर, जिला, भीलवाड़ा
(एस.डी.ओ. रायपुर)